न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–81/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. भगवान सहाय पुत्र श्री नन्दन जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

..... अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर।
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर।

.....रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपत सिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–02.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी कठूमर में हाल खसरा नंबर 143 रकबा 18 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नंबर 85 मिन रकबा 1 बिस्वा, 88 मिन 14 बिस्वा, 91 मिन रकबा 1 बिस्वा, 92 मिन रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर में स्थित है।साबिक खसरा नंबर 88 मिन रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम अर्रूवा में वादी के पिता एवं अन्य बुजुर्गान ने अपनी दीगर आराजी की सिंचाई हेतु कुआ बना रखा था जिस कुआ से वादी एवं अन्य बुजुर्गान अपनी आराजी की सिचाई करते हैं। साबिक खसरा नंबर 88 में वादी के पिता का 1/4 हिस्सा था जिसकी बाबत वादी के पिता व अन्य साझेदारों गोपी बगैरा में सिंचाई को लेकर विवाद हो गया था। जिसके कारण वादी के पिता नन्दन ने एक दावा अदालत उपजिला कलक्टर अलवर के यहां किया जो दावा 1955 में डिक्री हो गया तथा खसरा नंबर साबिक 88 के 1/4 हिस्सा पर नायब तहसीलदार द्वारा कब्जा दिया गया था लेकिन कागजात माल में इन्द्राज होने से रह गया। बंदोबस्त विभाग ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका वादी के पिता को बिना कोई नोटिस दिये साबिक खसरा नंबर 88 के हाल खरा नंबर 143 में मिलाकर उसका रकबा 18

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

बिस्वा कायम करके उसे जलमग्न भूमि सिवायचक दर्ज कर दिया। जबकि खसरा नंबर 88 मिन रकबा 14 बिस्वा के 1/4 हिस्से पर वादी के पिता का कब्जा था तथा अपनी आराजीयात की सिंचाई करते चले आ रहे थे तथा उक्त आराजी के रकबा 14 बिस्वा के 1/4 हिस्से अर्थात 4 बिस्वा रकबा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है। बंदोबस्त विभाग ने मनमाने तरीके से इन्द्राज किया है। वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने को कहा तो मना कर दिया। हाल राजस्व रिकार्ड से अंकन कलमजन करने एवं वादी को रकबा 4 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित करने की डिक्री चाही जिस पर बाद तलबी प्रतिवादीगण द्वारा अपना जबाव पेश किया गया एवं बाद बहस मिन वादी का उपरोक्त वाद दिनांक 21.06.2018 को खारिज कर डिक्री फरमाया गया है। जिस उपरोक्त आदेश दिनांक 21.06.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि विवादित आराजी कभी भी जलमग्न भूमि सिवायचक सरकारी नही रही है। आराजी खसरा नंबर 143 रकबा 18 बिस्वा साबिक खसरा नंबर 85 मिन रकबा 1 बिस्वा, 88 मिन रकबा 14 बिस्वा, 91 मिन रकबा 1 बिस्वा, 92 मिन रकबा 2 बिस्वा वाके ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर जिला अलवर में वादी के पिता का 1/4 हिस्सा था, जिसकी बाबत वादी के पिता व अन्य साझीदारान गोपी वगैरा में सिचाई को लेकर विवाद हो गया था जिस कारण वादी के पिता नन्दन द्वारा अदालत उपजिला कलक्टर अलवर की अदालत में एक राजस्व वाद दायर किया जो दावा 1955 में डिक्री हो गया तथा खसरा नंबर साबिक 88 के 1/4 हिस्सा पर नायब तहसीलदार द्वारा कब्जा दिया गया था लेकिन कागजात माल में इन्द्राज होने से रह गया। इस प्रकार उक्त वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व डिक्री किया गया था। सेटलमेंट विभाग ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका एवं बिना किसी हक व अधिकार के साबिक खसरा नंबर 88 मिन रकबा 14 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 143 में मिला कर उसका रकबा 18 बिस्वा कायम कर उसे जलमग्न सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेंट विभाग को पूर्व इन्द्राज रिपीट करना चाहिये था।मिन वादी अपीलांट द्वारा वाद की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जिनसे यह बखूबी साबित था कि मिन वादी के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता रहा है। तथा उक्त आराजी से अन्य आराजी की सिचाई करता चला आ रहा है तथा उक्त भूमि कभी भी सरकारी सिवायचक जलमग्न नही रही है। उपरोक्त कुआ मिन वादी अपीलांट के बुजुर्गान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व बनाया था जिसकी ताईद में प्रदर्श 7 जमाबंदी संख्या 2013 प्रस्तुत की गई थी। पटवारी हल्का ने मौखिक साक्ष्य में खसरा नंबर 143 की वस्तु स्थिति स्पष्ट की थी एवं कुआ की नाल को छोडकर जलमग्न भूमि नही बताई। अधीनस्थ न्यायालय में तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी रेस्पोडेण्टान पर था परन्तु प्रतिवादीगण साबित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं कि सेटलमेंट को क्या यह अधिकार है कि मौका एवं कब्जे के आधार पर पूर्व इन्द्राज

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

को बदल सकता है। जिन तनकीयात को साबित करने का भार मिन वादी अपीलांट पर था वह मिन वादी अपीलांट द्वारा पूरी तरह साबित करने में सफल रहा है तथा जो कि मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से पूरी तरह साबित था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार किय जाने हेतु निवेदन किया गया। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न नजीरें पेश की। RRT 2001 page 244, RBJ 2001 page 170, RBJ 2010 page 546, RRT 2013(1) 227, RBJ 2012 page 667, RBJ 1998 page 275,290,610.

जबाव बहस में पैरोकार सरकार द्वारा तर्क किया गया कि भू प्रबंध विभाग द्वारा मौका के मुताबिक इन्द्राज किया है। वर्तमान रिकार्ड में जलमग्न भूमि दर्ज है। वादी अपीलांट के नाम दर्ज करने में आमजन को हानि होगी। अतः अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में 6 तनकीयात कायम की गई थी। जिसमें तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी अपीलांट पर था। वादी अपीलांट ने दस्तावेजी साक्ष्य के मिलान क्षेत्रफल जमाबंदी संवत 2013, नकल खसरा परिवर्तनशील संवत 2044, 2047, 2049 एवं दखलनामा प्रदर्श कराये गये।मौखिक साक्ष्य में स्वयं भगवानसहाय, रामवीर, हरचन्द को परिक्षित करवाये गये। पैरोकार सरकार की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है।मौखिक साक्ष्य में पटवारी के बयान कराये गये। दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया। मिलान क्षेत्रफल से यह साबित है कि खसरा नंबर 88 मिन का हाल खसरा नंबर 143 बना है। जमाबंदी संवत 2013 में अपीलांट का पिता नन्दन का नाम कॉलम नंबर 5 में दर्ज है। तथा खसरा नंबर 88 मिन 14 बिस्वा चाह मीठा वाला कुआ दर्ज है। नन्दन बनाम गोपी वगैरा के वाद में नन्दन अपीलांट के पिता के पक्ष में खसरा नंबर 88 मिन में से 1/4 हिस्सा की डिक्री की गई है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व की है। सरकार की तरफ से इन दस्तावेजों के खिलाफ कोई साक्ष्य पेश नही किये गये हैं। पटवारी हल्का द्वारा अपनी जिरह में यह माना है कि मौके पर जलमग्न भूमि मौजूद नही है। वादी अपीलांट द्वारा पेश किये गये मौखिक साक्ष्य में भी कभी भी जलमग्न भूमि नही रही है। तहत अदालत द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार एवं एडवर्स पजेसन का आधार मानकर तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादी तय की गई है जो गलत तय की गई है। हम इस मत से सहमत नही है क्योंकि पहले तो दावा एडवर्स पजेशन के आधार पर नही था। दावा घोषणात्मक एवं भूप्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के किये गये इन्द्राज को कलमजन करने का था। क्यों कि भूप्रबंध विभाग को भूमि की किस्म परिवर्तन व पूर्व जमाबन्दी के इन्द्राज को परिवर्तित नही करने के आधार पर इन्द्राज दुरूस्ती कर खातेदारी चाही है। जहां तक अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है क्यों कि वह प्रकरण नदी, नाले, तालाब, नहर, पहाड आदि की संवत 2012 से पूर्व की स्थिति में लाने के संबंध में है। एवं उक्त निर्णय में यह तजबीज दी गई कि नदी नाला

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

तालाब नहर का आवंटन नही किया जा सकता है। सेटलमेंट से पूर्व उक्त आराजी मीठावाला कुआ के नाम दर्ज है। वर्तमान में साक्ष्य में कुंआ ही साबित है। उक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में 1955 में डिक्री हुआ है, यहां इस प्रकार का प्रकरण नही है। भूप्रबंध विभाग को पूर्व में हो रहे इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिये। भू प्रबंध विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय की निर्णय व डिक्री के बिना राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नही है। उक्त प्रकरण में भी राजस्व रिकार्ड में मीठा वाला कुआ के स्थान पर जलमग्न भूमि का इन्द्राज गलत आधार पर बिना कोई अधिकार के किया है। जो गलत व विधि विरूद्ध है। इसलिये दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से वादी ने तनकी नंबर 1 को पूर्ण रूप से साबित किया है। तनकी नंबर 1 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नंबर 2 के संबंध में तनकी नंबर 1 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहकर कि खसरा नंबर 88 मिन का दखल पानी लेने तक का था, गलत है क्योंकि दखल भूमि का होता है ना कि पानी का। जमाबंदी संवत 2013 से साबित है कि अपीलांट के पिता का नाम कॉलम नंबर 5 में कृषक के रूप में खातेदारी में दर्ज है। तनकी संख्या 1 में विस्तृत रूप से विवेचन किया जा चुका है कि वादी अपीलांट खातेदारी की घोषणा करने का अधिकारी है। अतः तनकी नंबर 2 वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पो0 निर्णीत की जाती है।

तनकी नंबर 3 में अपीलांट के इस तर्क से सहमत हैं कि भू प्रबंध विभाग को पूर्व इन्द्राज रिपीट करने चाहिये। पूर्व इन्द्राज को परिवर्तित करने का अधिकार नही है बल्कि भूमि की किस्म परिवर्तन करने का भी भू प्रबंध विभाग को अधिकार नही है। जैसा कि आर. आर.टी 2001(1) पेज 244 माननीय उच्च न्यायालय ने अपना मत व्यक्त किया है। जो इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में पेश उक्त नजीरों में माननीय राजस्व मंडल द्वारा भी यह मत व्यक्त किया गया है कि भूप्रबंध विभाग को केवल पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिये। पूर्व इन्द्राज को परिवर्तित करने का अधिकार नही है।इस प्रकार भूप्रबंध विभाग को सेटलमेंट के दौरान गैर मुमकिन चाह को जलमग्न सिवायचक दर्ज कर किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नही था। इस प्रकार यह तनकी भी वादी अपीलांट के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी नंबर 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी अपीलांट द्वारा पेश किये गये दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य से यह साबित है कि आराजी खसरा नंबर साबिक 88 मिन गैर मुमकिन कुआ की भूमि थी, कभी भी जलमग्न नही रही है। प्रतिवादी रेस्पो0 द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह माना जावे कि सेटलमेंट से पूर्व जलमग्न भूमि रही है। सेटलमेंट विभाग द्वारा जलमग्न भूमि सिवायचक दर्ज कर भूमि का किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नही है। इसलिये यह तनकी भी बहक वादी अपीलांट एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण रेस्पो0 निर्णीत की जाती है।

तनकी नंबर 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण रेस्पो0 पर था। प्रतिवादी रेस्पो0 का यह कथन कि खसरा नंबर 143 जलमग्न सिवायचक होने के कारण वाद चलने योग्य नही है। वादी अपीलांट के विरूद्ध यह तय नही की जा सकती जब तक कि रिकार्ड से प्रतिवादी रेस्पो0 यह साबित नही कर सके कि सेटलमेंट से पूर्व विवादित भूमि जलमग्न भूमि हो। ऐसा प्रतिवादी रेस्पो0 सरकार ने कोई रिकार्ड पेश नही किया है बल्कि पटवारी हल्का ने अपने बयानों में खसरा नंबर 143 हाल को जलमग्न भूमि नही होना बताया है। इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

अपीलांट वादी का वाद चलने योग्य था। यह तनकी भी बहक वादी अपीलांट विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पो0 तय की जाती है।

तनकी नंबर 6 बाबत अनुतोष थी। सभी तनकीयात बहक वादी अपीलांट विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पो0 तय की गई हैं। ऐसी स्थिति में वादी अपीलांट अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का दावा पूर्ण रूप से साबित होना पाया जाता है। अतः न्यायालय अपील मंजूर किया जाना उचित समझता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी कठूमर का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2018 निरस्त किया जाता है। तथा हाल आराजी खसरा नंबर 143 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम अर्रूवा में से 4 बिस्वा का वादी अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे जलमग्न सिवायचक के इन्द्राज को कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई से पाबंद किया जाता है कि वह वादी अपीलांट को हाल खसरा नंबर 143 रकबा 0.23 है0 में से 4 बिस्वा से बेदखल नही करे तथा उपभोग–उपयोग करने में मजाहमत न करे। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

02.12.2019

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)